न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्या-38/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/38)

1. बरदा पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम छापरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. अमरी पुत्री कना,
2. समोदरा पुत्री कना,
3. कली पत्नी लक्ष्मण
4. हरदयाल पुत्र लक्ष्मण
5. किशना पुत्र पेमा
6. बन्ना पुत्र पेमा
7. लाला पुत्र पेमा
8. भीरा पुत्र नाथु
9. बद्री पुत्र नाथु
10. सूरजकरण पुत्र नाथु
11. सावन पुत्र नाथु
12. हरलाल पुत्र नाथु
13. भीरी पत्नी जगदीश (फौत) नाम तर्क
14. छोटू पुत्र जगदीश
15. रामधन पुत्र जगदीश
16. शिवराज पुत्र जगदीश
17. जीवराज पुत्र गोपाल
18. देवकरण पुत्र गोपाल
19. हरि पत्नी गोपाल
20. जयराम पुत्र गोकुल

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण, ग्राम छापरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

21. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर

रेस्पोन्डेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.11.2021 राजस्व वाद संख्या 69/2020

उपस्थित:--

1. श्री मनीष खंडेलवाल, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री ओम प्रकाश, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12, 14 से 20 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 21.
4. रेस्पोडेंट संख्या 13 नाम तर्क.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रकरण संख्या 69/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 20 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अप्रार्थी/अपीलार्थी को नोटिस तामिल कराए गए। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी /अपीलार्थी की आराजी खसरा संख्या 473 में से 216 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई में कुल 864 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु नियत किए जाने तथा नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराए जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प में दिनांक 16.11.2021 को आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक16.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि अपीलार्थी को प्रशासन गांवों के संग अभियान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत किए जाते समय आक्षेपित आदेश की जानकारी नहीं दी गई। उक्त प्रकरण की पेशी दिनांक 3.1.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने पर उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी होने पर अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को सूचना की गई तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। ओक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.01.2022 को प्राप्त होने से यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही में अपीलार्थी को कभी भी अदालती नोटिस तामिल नहीं हुए। अपीलार्थी को केवल केम्प कोर्ट दिनांक 16.11.2021 को नोटिस तामिल हुए जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर अपीलार्थी को आश्वस्त किया गया था कि प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 3.01.2022 को न्यायालय में आगामी कार्यवाही की जाएगी परंतु अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत किए जाने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रकरण को केम्प कोर्ट में दिनांक 16.11.2021 को निर्णित कर दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व केम्प में मुकदमें केवल राजीनामें के आधार पर ही निर्णित किए जा सकते हैं लेकिन उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ ने अपीलार्थी को आपत्ति प्रस्तुत किए

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जाने के बावजूद भी सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण को निर्णित कर दिया गया। दिनांक 16.11.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा मौके पर गए बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में केम्प में ही मौका रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में जाहिर किया गया है कि खसरा नम्बर 513 व 514 प्रत्यर्थीगण का है जिसमें प्रत्यर्थीगण को आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। परंतु प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर खसरा संख्या 514 के संबंध में तथ्य छिपाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को गुमराह किया गया। अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 514 की जमाबंदी की प्रति अपील में प्रस्तुत की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रत्यर्थीगण के खसरा संख्या 513, 514 का कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा ना ही खसरा संख्या 514 में आने जाने के मार्ग हेतु खसरा संख्या 515, 516 व 517 की मैड से होकर रास्ता स्थित होने बाबत कोई अंकन नहीं किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा अधूरी रिपोर्ट बनाई गई है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, तथा तहसीलदार सरवाड द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नक्शे में खसरा संख्या 437 में से एल आकार का रास्ता दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधानों के विपरीत जाकर वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद भी केवल सुगम व सुविधाजनक मार्ग होने के बावजूद भी केवल सुगम व सुविधाजनक मार्ग के रूप में उक्त एल आकार का रास्ता दिया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2019(1) आर0आर0टी0 पेज 403, आर0आर0टी0 2018–19 पेज 342, 2020 (2)आर0आर0टी0 पेज 979, आर.आर.टी. 1018–19 पेज 576, 2016(1)आर.आर.टी. पेज 649, 2021(2) आर.आर.टी. पेज 1286 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2021 अपीलार्थी की मौजूदगी में ही केम्प में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को निर्णय पारित करने की दिनांक से ही थी क्योकि अपीलांट/अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अभिभाषक अपना वकालतनामा उसी दिन को पेश किया था, इसलिए यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायलय के आदेश की जानकारी नहीं थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने तत्पश्चात बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने अपनी अपील मीमो में सर्वप्रथम उक्त निर्णय को विधि सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त फरमाने का अनुतोष चाहा है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना पूर्णतया मय दस्तावेज से साबित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त रास्ते से संबंधित मौका पर्चा तलब किया गया जिससे यह स्पष्ट है

कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना सिद्ध होता है। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा उक्त कच्ची रास्ते को अवरूद्ध किया जाना भी सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2021 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमो के बिंदु संख्या 2 में मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 पर ऐतराज जताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौति दी है जबकि मौका रिपोर्ट विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से तैयार की गई है। जिसकी पुष्टि उक्त मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित अन्य लोगो द्वारा किए गए हस्ताक्षरो से स्पष्ट होती है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमो के बिंदु संख्या 3 में अन्य वैकल्पिक रास्तो का होना दर्शाया है जबकि अपीलार्थी द्वारा जो विवरण अपनी अपील मीमो के पैरा संख्या 3 में दिया गया है वह मिथ्या है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स के पास अपने प्रार्थना पत्र में बताए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमो के बिंदु संख्या 4 व 5 में जो उज्र एवं ऐतराज उठाए गए है वे पूर्णतया मिथ्या एवं गलत है क्योंकि अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रकरण में बार-बार नोटिस देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी को दिनांक 16.11.2021 को केम्प कोर्ट में उपस्थिति हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिए गए थे जिसकी उसे पूर्णतया जानकारी थी। अपीलार्थी ने जानबूझकर कोर्ट केम्प में मौजूद होने के बावजूद पत्रावली पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमो के बिंदु संख्या 6 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की नियत पेशी दिनांक से पूर्व सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताई है जो कानूनी विषय है क्योंकि उक्त प्रकरण की सुनवाई राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान उक्त गांव में होने वाले केम्प की नियत दिनांक के अनुसार की गई है जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स का कोई निजी हित नहीं है। उक्त प्रकरण के साथ उक्त गांव से संबंधित अन्य प्रकरणों में भी नियत पेशी से पूर्व सुनवाई की गई है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट्स को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से एवं प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।**

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेन्टस द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किये जाने पर अप्रार्थी /अपीलांट को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया किन्तु 23.10.2021 तक पत्रावली प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी में विचाराधीन रही । तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 16.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश होने पर तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई । इसी तारीख पेशी पर अपीलांट बरदा की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र जैन ने वकालतनामा एवं प्रारंभिक आपत्ति पेश की

गई । उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र में अपीलांट/प्रतिवादी ने अंकित किया है कि "प्रार्थीगण का आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 1515, 1516, 1517 की मैड से होकर है तथा उक्त रास्ता पुश्तैनी एवं पैतृक रूप से चला आ रहा है तथा अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 473 में कोई रास्ता अवस्थित नहीं है लेकिन हल्का गिरदावर द्वारा बिना अप्रार्थी को सूचना दिये ही तथा उसकी अनुपस्थिति में मौका पर्चा बनाया है जो पूर्णत गलत है एवं मौका स्थिति के विपरीत है । वस्तुत प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 514 गै0मु0पाल है तथा उक्त पाल से ही प्रार्थीगण अपने खेतों में आते-जाते रहे है तथा खसरा नंबर 513 की पूर्वी मैर की ओर भी गै0मु0पाल है लेकिन उक्त प्रार्थीगण ने पाल की भूमि को तहत नहस कर मौके पर काश्त करना शुरू कर दिया है एवं अब नाजायज तरीके से अप्रार्थी की भूमि में से जबरन नया रास्ता बनाने पर उतारू हो रहे है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है।" अपीलांट/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली परउपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट यद्यपि भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जिस पर तहसीलदार के प्रति-हस्ताक्षर है किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट/अप्रार्थी को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है जो धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 के नियम 69 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से ऐसी एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यहां यह भी विचारणीय है कि जब पत्रावली अपीलांट/अप्रार्थी की तलबी में विचाराधीन थी तो उक्त प्रकरण कैम्प कोर्ट में किन पक्षकारों की सहमति से रखा गया था । कैम्प कोर्ट में केवल सहमति के प्रकरणों को रखकर निस्तारित किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की सहमति दिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में हम प्रकरण का परीक्षण न्यायालय से पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सराकरी नियम 69 की पालना करते हुए वैकल्पिक मार्ग का परीक्षण करते हुए, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का आवश्यक रूप से 30 दिवस में विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें । उभयपक्षकारान/उनके अधिवक्ता को दिनांक 06.1.2023 को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर